HIG-2/17/2023-XXIV-C-2-Higher Education Department

1/1671/2023

संख्या–167129/XXIV-C-2/2023/ई–52640

प्रेषक,

व्योमकेश दूबे
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 175/2023 के अनुपालनार्थ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर) में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–डिग्री प्लान/338/2023–24, दिनांक 21.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्याः 649/XXIV(3)/2016–01(30)2015, दिनांक 14.12.2016 द्वारा निर्धारित मानकानुसार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट, जनपद बागेश्वर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिकानुसार उल्लिखित शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के कुल 14 अस्थाई पदों (आउटसोर्स के 04 पद सहित) का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाय, के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0स0	पदनाम	वेतनमान (रूपये में)	एकेडमिक/वेतन मैट्रिक्स लेवल	पद
1	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–कम्प्यूटर विज्ञान	57700–182400	एके0ले0–10	01
2	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–गणित	57700–182400	एके0ले0–10	01
3	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–भौतिक विज्ञान	57700–182400	एके0ले0–10	01
4	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–रसायन विज्ञान	57700–182400	एके0ले0–10	01
5	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–जन्तु विज्ञान	57700–182400	एके0ले0–10	01

6	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–वनस्पति विज्ञान	57700–182400	एके0ले0–10	01
7	प्रयोगशाला सहायक	25500–81100	एके0ले0–04	04
8	प्रयोगशाला परिचर	नियत मानदेय रू0 ₹ 12,000 + सेवा प्रभार (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)		04
		कुल योग–		14

2– उक्त तालिकानुसार स्वीकृत किये जा रहे पदो के सम्बन्ध में यथा आवश्यक कार्यवाही निदेशालय द्वारा सम्पन्न की जायेगी। उपरोक्त सृजित अस्थायी पदों पर योजित कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत वेतन/भत्ते अनुमन्य होंगे।

3– आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में कार्मिक एव सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश स0 111 दिनांकः 27.04.2018 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 922 दिनांकः 11 अगस्तर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– उक्त पदों के सृजन आदि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–11 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कालेज तथा संस्थान–03– राजकीय उपाधि महाविद्यालय योजना की सुसंगत इकाइयों से वहन किया जायेगा।

5– यह आदेश वित्त अनु–07, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या I/166792/2023, दिनांक 03.11.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Byomkesh Dubey
Date: 06-11-2023 17:27:06
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

संख्या : 167129(1)/XXIV-C-2/2023/ई–52640, तददिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5– वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6– सम्बन्धित कोषाधिकारी।

7– प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर)।
8– वित्त अनुभाग–3 एवं 7/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Deepak Kumar
Date: 06-11-2023 17:34:52
(दीपक कुमार)
अनु सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पृ0सं0:– 4754/डिग्री प्लान/2023–24
दिनांकः 08 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपिः – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर)।
02. संगणक, डिग्री सेवा 1 एवं 2 उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
03. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
04. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ0 सी0 डी0 सूँठा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)